न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/11/2022, रजि0 न0 2022/15

अपीलार्थीः–

श्री प्रताप सिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस बहरोंड तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 13.04.2022

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को आवेदन पत्र दिनांक 31.01.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड। द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3–अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जरिये पत्र कंमाक 96 दिनाक 08.03.2022 के द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 16.03.2022 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जवाब प्राप्त नही होने की स्थिति में स्मरण पत्र 119 दिनाक 16.03.2022, 201 दिनाक 11.04.2022 जारी किया गया जिसके उपरान्त भी आदिनाक तक जवाब अप्राप्त है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से अपील में वर्णित बिन्दुओ पर की गयी कार्यवाही/बिन्दुवार जवाब आदिनाक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अपील का बिन्दूवार जवाब अप्राप्त होने पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6–निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7–पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 सुनीता पंकज)
अति0 जिला कलक्टर,(प्रथम)
अलवर, (राजस्थान)